भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 368

बुधवार, 20 जुलाई, 2022 (आषाढ़ 29, 1944 (शक)) को उत्तर के लिए

साइबर ठगी के मामले

368# श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान देश में दर्ज हुए साइबर ठगी के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि साइबर ठगी के मामलों के संबंध में ग्राहकों के हित में एक अधिक प्रभावी तंत्र विकसित करने में सरकार सफल नहीं हो पा रही है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में साइबर सेल में साइबर ठगी से निपटने हेतु तकनीक संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त पुलिस पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है जिसके कारण मामले सुलझाने में दिक्कतें आती है और समय लगता है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "क्राइम इन इंडिया" में अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2020 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 से 2020 के दौरान साइबर अपराध (माध्यम/लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के अंतर्गत धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 465, 468-471 के साथ पठित धारा 420) (क्रेडिट/ डेबिट कार्ड, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, ओटीपी धोखाधड़ी और अन्य शामिल हैं) के तहत दर्ज मामलों का राज्य /संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। एनसीआरबी ने 2017 से ही इस तरह के आंकड़े एकत्र करना शुरू किया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र साइबर अपराध से निपटने के लिए तंत्र विकसित करने, पर्याप्त जनशक्ति की तैनाती और पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं।

वित्तीय धोखाधडी सहित साइबर अपराध से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, केंद्र सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक फ्रेमवर्क और ईको-सिस्टिम उपलब्ध कराने हेतु "भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी)" का गठन किया है, ताकि साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटा जा सके।

ii. गृह मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, लोगों को सभी प्रकार के साइबर अपराधों को दर्ज करने में समर्थ बनाने के लिए 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (www.cybercrime.gov.in) शुरू किया है। इस पोर्टल पर दर्ज की गई साइबर अपराध की घटनाएं, कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे कार्रवाई करने के लिए स्वतः ही संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को पहुँच जाती हैं।

iii. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए "नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली" भी शुरू की गई है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

iv. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी क्षमता के निर्माण जैसे कि साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, क्षमता निर्माण कनिष्ठ साइबर परामर्श-दाताओं की नियुक्ति करने के लिए "महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)" योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है। 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू (कमीशन) की गई हैं।

v. जांच और अभियोजन कार्य का बेहतर ढंग से निपटान करने के लिए, विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अधिदेश दिया गया है। अब तक, 20,000 से अधिक एलईए कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध संबंधी जागरूकता, जांच, फॉरेंसिक आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

vi. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जांच अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और उनकी सहायता करने के लिए आई4सी के तहत एक अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल)' की स्थापना की गई है। एनसीएफ़एल ने काम करना शुरू कर दिया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इसकी सुविधाएं दी जा रही हैं।

vii. आई4सी के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक “मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस (एमओओसी)” प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। यह साइट्रेन पोर्टल, प्रमाणन के साथ साइबर अपराध जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण में मदद करता है। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 21,300 से अधिक पुलिस अधिकारी पंजीकृत हैं और पोर्टल के माध्यम से 5,700 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

viii. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी और राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान विधि प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

*****

अनुलग्नक

वर्ष 2017 से 2020 के दौरान साइबर अपराधों के अंतर्गत धोखाधड़ी के तहत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2017	2018	2019	2020
1	आंध्र प्रदेश	166	195	703	764
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	3
3	असम	5	6	83	58
4	बिहार	427	357	1008	1294
5	छत्तीसगढ़	33	18	35	71
6	गोवा	0	0	0	1
7	गुजरात	123	139	107	205
8	हरियाणा	53	0	107	36
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	1
10	झारखंड	72	175	18	83
11	कर्नाटक	11	49	7	0
12	केरल	20	14	14	6
13	मध्य प्रदेश	66	43	25	69
14	महाराष्ट्र	1426	1036	1681	2032
15	मणिपुर	5	0	0	0
16	मेघालय	3	0	0	10
17	मिजोरम	0	0	0	0
18	नागालैंड	0	0	0	0
19	ओडिशा	333	392	956	1079
20	पंजाब	5	7	35	16
21	राजस्थान	92	72	324	332
22	सिक्किम	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	21	5	11	5
24	तेलंगाना	277	347	282	3316
25	त्रिपुरा	3	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	270	454	813	837
27	उत्तराखंड	1	28	3	1
28	पश्चिम बंगाल	22	4	0	145
	कुल (राज्य)	**3434**	**3341**	**6212**	**10364**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2	0	0
30	चंडीगढ़	6	2	0	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव[+]	0	0	0	0
32	दिल्ली	23	3	11	31
33	जम्मू और कश्मीर[*]	3	3	6	0
34	लद्दाख	-	-	-	0
35	लक्षद्वीप	0	2	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**32**	**12**	**17**	**31**
	कुल (अखिल भारत)	**3466**	**3353**	**6229**	**10395**

स्रोत: भारत में अपराध,एनसीआरबी

नोट: '**+**' वर्ष 2017 से 2019 के लिए पूर्ववर्ती दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र तथा और दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकडें; '*****' वर्ष 2017 से 2019 के लिए लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य के आंकड़े

***